चिकित्सा अवकाश एवं प्रसूति अवकाश अवधि का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
2—समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी,
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

पत्र संख्या—डी०ई०/सा०शि०/13430—594/2010—11 दिनांक 07 अगस्त, 2010

विषयः—चिकित्सा अवकाश एवं प्रसूति अवकाश अवधि का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं द्वारा सामान्यतः आवेदनपत्र सम्बन्धित प्रधानाध्यापक अथवा विकासखण्ड के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजकर अवकाश का उपभोग कर लिया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उनका "फिटनेस प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किये जाने पर अवकाश की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी परिस्थिति में अवकाश अवधि के इन शिक्षकों/शिक्षिकाओं का वेतन अवरुद्ध हो जाता है और बाद में अवशेष भुगतान कई माह बाद स्वीकृति के उपरान्त बजट उपलब्ध होने पर हो पाता है।

उपरोक्त समस्या के निदान हेतु यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि यदि शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा प्रसूति अथवा चिकित्सा अवकाश का प्रार्थनापत्र उपभोग प्रारम्भ किये जाने के 15 दिन पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सम्बन्धित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण के साथ प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रत्येक दशा में शिक्षक/शिक्षिकाओं के अवकाश पर जाने के पूर्व ही स्वीकृत कर दिया जाय तथा आदेश की प्रति समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी/ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं बिल क्लर्क को अनिवार्यतः उपलब्ध करा दी जाय। साथ ही साथ स्वीकृत किया गया अवकाश सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पंजिका पर भी अंकित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाय।

वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवकाश स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत अवकाश अवधि का वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाय। शिथिलता की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।

□□□

बाल्य देखभाल अवकाश की शर्तों की शिथिलीकरण

संख्या : बे०आ०—2—176/दस—2011—216—79

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2011

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन।

(सामान्य)-अनुभाग-2 संख्या-जी-2-573/दस-2009-216-79 दिनांक मार्च 24, 2009) । साथ ही शासनादेश स०-वे०आ०-2-176/दस 2011-216-79 दिनांक 11 अप्रैल, 2011 भी पढ़ा जाये।

16- अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता।

विधायकों/सांसदों हेतु विशेष अवकाश सुविधा

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को संसद/विधानमण्डल की सदस्यता हेतु निर्वाचित होने की सुविधा अनुमन्य है। इस सम्बन्ध में उन्हें विशेष अवकाश की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।

संस्था के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे निर्वाचित सदस्यों को संसद/विधानमण्डल की बैठकों तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु अवमुक्त कर दिया जाये। किन्तु यह भी आवश्यक है कि ऐसे शिक्षक/प्रधानाचार्य इसकी सूचना अपनी संस्था के अधिकारियों को अवश्य दे दें।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय तीन के विनियम 99 में स्पष्ट कहा गया है कि उक्त शिक्षक/प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति की अवधि उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा। जो उसे देय हो और जिसके लिये वह आवेदन करे। ऐसी स्थिति में जब उसे कोई अवकाश देय न हो तो उसे अवैतन अवकाश (Leave without pay) पर समझा जायेगा। अर्थात, उसे उक्त अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय न होगा।

इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि विधान परिषद की सदस्यता हेतु स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन मण्डल से निर्वाचन हेतु सभी शिक्षक मतदाताओं के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए। (सन्दर्भ–भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय का पत्रांक–322/GPN./2002 P.S.-III dated 31.05.2002—"Bonafide Noters in Graduates and Teachers" Constituencies may be allowed special leave for casting vote."

राज्य निर्वाचन अधिकारी, स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन मण्डल ने अपने पत्रांक–440/CEO-4 दिनांक नवम्बर 9, 1998 द्वारा दिये गये निर्देश में भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिय जाने की संस्तुति की है--

"The commission, therefore, directs that suitable instruction may be given by the Central and State Government that on the day of poll for elections to the State Legislative Council from Graduates and Teachers constituencies,the voters at such elections should be permitted to avail of special casual leave in order to be able to exercise their right of franchise."

अवकाश लेखा का रख-रखाव

आकस्मिक अवकाश की स्थायी रूप से विवरण रखने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्येक वर्ष के समाप्त होने पर स्वयं लुप्त हो जाता है। किन्तु अर्जित अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, अवैतन अवकाश, असाधारण अवकाश तथा प्रसूति अवकाश तथा बाल्य देखभाल अवकाश का ब्यौरा रखना अनिवार्य है। क्योंकि इसकी आवश्यकता पूरे सेवाकाल में पड़ती है। सेवानिवृत्ति के समय भी अवकाश का लेखा जोखा देना पड़ता है।

अतएव अवकाश का ब्यौरा उसके के लिये विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ती। जो निम्न प्रकार है। (11-क, 11-ख, 11-ग)

(क) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी–

(i) शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश प्रधानाचार्य द्वारा तथा प्रधानाचार्य

की अपेक्षा शिक्षा है।

3. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आकस्मिक तथा अन्य सभी अवकाशों के स्वीकर्ता अधिकारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक है।

4. शिक्षकों एवं तृतीय श्रेणी का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिए संस्था का प्रधान स्वयं सक्षम है। किन्तु अन्य सभी प्रकार के अवकाश प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे किन्तु ऐसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र संस्था के प्रधान के माध्यम से ही अग्रसारित होंगे।

5. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के अवकाशों हेतु प्रबन्धक स्वीकार करने हेतु अधिकृत है।

6. दीर्घावकाश की सुविधा शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को ही दी गई है, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं।

7. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को गैर–दीर्घावकाश वाले विभागीय कर्मचारियों की भाँति अर्जित अवकाश देय होगा।

8. शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को दीर्घावकाश की सुविधा दिये जाने के कारण उनका अर्जित अवकाश वर्ष में एक दिन का अनुमन्य है।

9. मार्च 15, 1975 से दिसम्बर 31, 1977 तक यह अर्जित अवकाश वर्ष में 3 दिन अनुमन्य किया जाता था किन्तु दिनाँक जनवरी 1, 1978 से इसका आगणन इस प्रकार किया गया है कि अब यह केवल एक दिन का अर्जित अवकाश देय है।

10. दीर्घावकाश के विषय में सहायक नियम 145 तथा 146 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

यदि राजाज्ञा अथवा विभागीय आदेश द्वारा शिक्षक/प्रधानाचार्य को ग्रीष्म अवकाश के दौरान किसी कार्य में लगाया जाता है तो उसे उतने कार्य दिवस का आनुपातिक अंश अर्जित अवकाश मे सम्मिलित किया जाता है।

11. ग्रीष्मावकाश मे कार्य करने के बदले में अनुमन्य अर्जित अवकाश का सूत्र इस प्रकार है–

$$\frac{\text{कार्य दिवस} \times 30}{48}$$ ग्रीष्म अवकाश मे परिषद द्वारा आयोजित मूल्यांकन की अवधि में अर्जित अवकाश की इसी सूत्र के अनुसार गणना होती है।

12. आकस्मिक अवकाश के विषय में मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के परिच्छेद 90 के उपरिच्छेद (iv) में यह कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच मे यदि रविवार या अन्य अकार्य दिवस पड जाते हैं तो उनकी गणना अवकाश की संख्या मे नहीं की जायेगी। (Sundays, holidays and non-working days falling during the period of casual leave, should not be counted as casual leave').

13. विद्यालयों में शिक्षकों को सत्रान्त तक कार्य करने का लाभ दिया जाता है। उक्त अवधि मे उन्हें नियमानुसार अनुमन्य सभी अवकाश देय होते हैं।

14. प्रतिकर अवकाश शिक्षकों को देय नहीं है; यह केवल शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय है।

15. राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त बाल्य देखभाल अवकाश भी अनुमन्य किया गया है। (**सन्दर्भ**–कार्यालय–ज्ञाप, वित्त (सामान्य) अनुभाग–2, संख्या–जी–2–2017/दस–2008–216/79 दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008)।

किन्तु इसके सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि ऐसा देय अवकाश अर्जित अवकाश मे परिवर्तित माना जायेगा। (**सन्दर्भ**–कार्यालय–ज्ञाप

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अवकाश व्यवस्था

द्वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो (भाग 2 से 4) तथा मैन्युअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर में सन्निहित अवकाश नियम राजकीय कर्मचारियों हेतु निर्मित किये गये है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये मूल नियमों के साथ ही सहायक नियम तथा लेखा परीक्षा नियम भी दिये है। किन्तु अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा कर्मचारियों हेतु इण्टरमीडिएट एक्ट के अध्याय तीन में वर्णित रूलेगम 99 का प्रावधान है। इसका मूल पाठ निम्नवत् है।

"99. (1) आचार्य प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, व्यक्तिगत कार्य अवकाश तथा असाधारण अवकाश उतनी अवधि के लिए तथा उन प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य सरकार समय-समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निश्चित करें या अपने किसी विशिष्ट आदेशों द्वारा किन्हीं अपवादों सहित, जो किसी विशेष परिस्थितिवश अपेक्षित हों, निर्धारित करें। आकस्मिक अवकाश आचार्य तथा प्रधानाध्यापक के मामले में प्रबन्धक द्वारा तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्य अवकाश प्रबन्धक द्वारा (आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/अग्रसारित किये जाने पर) स्वीकृत किये जायेंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य अवकाश भी आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार ऐसा अवकाश और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्वीकृत कर भी सकती है।

(2) अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है और पहले स्वीकृत किये गये अवकाश को भी रद्द कर सकता है।

टिप्पणी—यदि कोई आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक राज्य विधान मण्डल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मण्डल, संसद अथवा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायेगा और संस्था से उनकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसे उसे देय हो तथा जिसके लिये वह आवेदन करें। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा।"

ज्ञातव्य बिन्दु—इस सम्बन्ध में कतिपय ज्ञातव्य बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विनियम 99 में लिखित अवकाश उतनी ही अवधि और उन्हीं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किये जा सकते हैं जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये अनुमन्य हैं।

2. अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और राजकीय विद्यालय दीर्घावकाश (ग्रीष्मावकाश) राजकीय नियमों के अन्तर्गत आते हैं। अतएव इनके लिये अर्जित अवकाश की सुविधाओं में अन्य विभागों

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अवकाश व्यवस्था

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो (भाग 2 से 4) तथा मैन्युअल आफ गर्वनमेन्ट आर्डर्स में उल्लिखित अवकाश नियम राजकीय कर्मचारियों हेतु निर्मित किये गये है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये मूल नियमों के साथ ही सहायक नियम तथा लेखा परीक्षा नियम भी दिये है। किन्तु अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यो तथा कर्मचारियों हेतु इण्टरमीडिएट एक्ट के अध्याय तीन में वर्णित विनियम 99 का प्राविधान है। इसका मूल पाठ निम्नवत है।

"99. (1) आचार्य प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, व्यक्तिगत कार्य अवकाश तथा असाधारण अवकाश उतनी अवधि के लिए तथा उन प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य सरकार समय–समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निश्चित करें या अपने किसी विशिष्ट आदेशों द्वारा किन्हीं अपवादों सहित, जो किसी विशेष परिस्थितिवश अपेक्षित हों, निर्धारित करें। आकस्मिक अवकाश आचार्य तथा प्रधानाध्यापक के मामले में प्रबन्धक द्वारा तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्य अवकाश प्रबन्धक द्वारा (आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/अग्रसारित किये जाने पर) स्वीकृत किये जायेंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य अवकाश भी आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार ऐसा अवकाश और ऐसी शर्तो पर जो वह उचित समझे, स्वीकृत कर भी सकती है।

(2) अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए समोदन प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है और पहले स्वीकृत किये गये अवकाश को भी रद्द कर सकता है।

टिप्पणी– यदि कोई आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक राज्य विधान मण्डल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मण्डल, संसद अथवा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायेगा और संस्था से उनकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसे उसे देय हो तथा जिसके लिये वह आवेदन करें। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा।"

ज्ञातव्य विन्दु– इस सम्बन्ध में कतिपय ज्ञातव्य बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विनियम 99 में उल्लिखित अवकाश उतनी ही अवधि और उन्हीं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किये जा सकते हैं जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये अनुमन्य हैं।

2. अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और राजकीय विद्यालय दीर्घावकाश (ग्रीष्मावकाश) ...ीय विभागों ... सकते हैं। अतएव इनके लिये अर्जित अवकाश की सुविधाओं में अन्य विभागों

परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में अवकाश नियम

- उ०प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 (विज्ञप्ति संख्या 8988/पन्द्रह–6–38(11)–72, दिनांक 13 फरवरी, 1978 द्वारा अधिसूचित।) के अनुसार :–

  17. छुट्टी (Leave)—मान्यता प्राप्त स्कूल के किसी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को छुट्टी उसी हिसाब से अनुमन्य होगी जैसी प्रदेश के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे कर्मचारियों को अनुमन्य है।

- उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली, 1984 (अधिसूचना संख्या 698/15-6-84-28(8)(II)-84 दिनांक 13-6-1984 उ०प्र० शासकीय गजट भाग 1–क दिनाँक 2 मार्च, 1985 में प्रकाशित हुई।) के अनुसार

  22. अवकाश (Leave)—किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिपिक या समूह 'घ' के कर्मचारी को अवकाश उसी हिसाब से अनुमन्य होगा जैसा कि राज्य के मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज को अनुमन्य है।

- **उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975** (अधिसूचना संख्या 3523/पन्द्रह(5)–334–73, दिनाँक 19 जुलाई, 1975 द्वारा असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया।) के अनुसार :–

  17. अवकाश के दौरान अभिदान (Subscription during Leave)—कोई भी कर्मचारी जब वह अपने अवकाश को नियंत्रित करने की नियमावली के अधीन विशेषाधिकार अवकाश (Privilege Leave) या औसत वेतन के अवकाश से भिन्न अवकाश पर हो भविष्य निधि में अभिदान नहीं करेगा।

- **प्रसूति कालीन अवकाश में वृद्धि**
  उल्लेखनीय सन्दर्भ :- संख्या 896/79-5-2010, दिनाँक 11 मई, 2010

- **बाल्य देखभाल अवकाश**
  उल्लेखनीय सन्दर्भ :- संख्या : डी०ई०/उ०नि०प्रा०/1991-215/2010-11, दिनाँक 15 जून, 2010

- **चिकित्सा एवं प्रसूति अवकाश वेतन**
  उल्लेखनीय सन्दर्भ :- संख्या : डी०ई०/सा०शि०/13430-594/2010-11, दिनाँक 7 अगस्त, 2010

- **बाल्य देखभाल अवकाश शिथिलीकरण**
  उल्लेखनीय सन्दर्भ :- संख्या : वे०आ०–2-176/दस–2011-216-79, दिनाँक 11 अप्रैल, 2011

- **बाल्य एवं प्रसूति अवकाश की स्वीकृति**
  उल्लेखनीय सन्दर्भ :- संख्या : 4063/79-5-2014, दिनाँक 19 सितम्बर, 2014

- **बाल्य देखभाल अवकाश-स्पष्टीकरण**
  उल्लेखनीय सन्दर्भ :- संख्या : 3/जी-2-100/दस–2014-216-79 दिनाँक 24 सितम्बर, 2014

❑❑❑

बाल्य देखभाल व प्रसूति अवकाश स्वीकृति का अधिकार

संख्या–4063/79–5–2014

प्रेषक,

एच0एल0 गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक)/अध्यक्ष
शिक्षा निदेशालय (बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।
2–सचिव,
बेसिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ : दिनाँक : 19 सितम्बर, 2014

विषय–परिषदीय शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कतिपय अधिकारों को खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–बे0शि0प0/15227/2013–14, दिनाँक 3.3.2014 एवं पत्रांक–शि0प0/1832/2014–15, दिनाँक 17.6.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वह अवगत कराया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता होने के कारण शिक्षकों के सामान्य प्रकरणों के निस्तारण में अत्याधिक विलम्ब होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश (मिसकैरेज लीव), विकलांग भत्ता व परिवार कल्याण भत्ता को स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक दिनाँक 11.2.2014 के पद संख्या–7 द्वारा विचारार्थ रखा गया था। परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास कार्य की अधिकता होने के कारण शिक्षकों के सामान्य प्रकरणों का निस्तारण अधिक समय तक लम्बित के पास कार्य की अधिकता होने के कारण शिक्षकों के सामान्य प्रकरणों का निस्तारण अधिक समय तक लम्बित रहता है, जिससे विद्यालयों का निरीक्षण कार्य प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्यों के निस्तारण का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिये जाने से शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण समयान्तर्गत त्वरित गति से संभव हो कसता है। तद्नुसार शासन से आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता होने के कारण शिक्षकों के सामान्य प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब होने के दृष्टिगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में से आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार मातृत्व अवकाश व गर्भपात अवकाश (मिसकैरज लीव) को सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार स्वीकृत किये जाने का अधिकार खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिये जाने पर निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवकाशों की साम्यता के आधार पर शिशु देखमाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) की स्वीकृति का अधिकार भी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिये जाने पर निर्णय लिया गया है। परन्तु उक्त प्रतिनिधानित शक्ति की सतत एवं प्रभावी समीक्षा भी की जाती रहेंगी।

3. कृपया तद्नुसार अपने स्तर से सर्वसम्मति को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव

□□□

[illegible] अवकाश विषयक शासनादेश संख्या [illegible]

[illegible]

[illegible] शासन के [illegible] संख्या [illegible]/79-5-2014 दिनांक [illegible] द्वारा [illegible] परिषदीय अध्यापिकाओं के मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश (मिसकैरेज लीव) तथा शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) की स्वीकृति का अधिकार [illegible] शिक्षा अधिकारियों [illegible]

2. [illegible] निदेशक, बेसिक, उ.प्र. [illegible] संख्या [illegible]/9780/2016-17 दिनांक [illegible] द्वारा शासनादेश दिनांक [illegible] 2014 को संशोधित करते हुए [illegible] अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार पूर्व की भाँति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदान करने हेतु प्रस्ताव [illegible]

3. [illegible] सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापिकाओं का मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश (मिसकैरेज लीव) तथा शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) पूर्व की भाँति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, स्वीकृत किये गये अवकाश का [illegible] प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय [illegible] रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त अवकाश विवरण नियमित रूप से रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप पर अंकित किया जाए एवं सम्बन्धित अध्यापिका की सेवा पुस्तिका में भी अवकाश का विवरण दर्ज हो।

4. उपरोक्त अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

5. अतएव तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार सिंह), सचिव

शासनादेश संख्या-1867/79-5-2016, दिनाँक 23 जून, 2016 का संलग्नक

प्रारूप-1

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं को बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदन एवं स्वीकृति का विवरण

क्र.सं.	शिक्षिका का नाम	पद	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	मोबाइल नं.	आवेदन की तिथि
1	2	3	4	5	6	7

किस तिथि से	किस तिथि तक	कुल दिन	स्वीकृत तिथि	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि	हस्ताक्षर संबंधित लिपिक का दिनाँक	हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता अधिकारी
8	9	10	11	12	13	14

शासनादेश संख्या-1867/79-5-2016, दिनाँक 23 जून, 2016 का संलग्नक

प्रारूप-2

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं को प्रसूति अवकाश के आवेदन एवं स्वीकृति का विवरण

क्र.सं.	शिक्षिका का नाम	पद	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	मोबाइल नं.	आवेदन की तिथि
1	2	3	4	5	6	7

"आचार्य, प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, [illegible] चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, व्यक्तिगत कार्य अवकाश तथा असाधारण अवकाश [illegible] लिये तथा उन प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य सरकार समय समय पर अशासकीय [illegible] माध्यमिक विद्यालयों के इसी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निर्धारित करे या अपने किसी विशिष्ट आदेशों द्वारा किन्हीं अपवादों सहित, जो किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यक हो, निर्धारित करे। आकस्मिक अवकाश आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के मामले में प्रबन्धक द्वारा तथा अन्य कर्मचारियों के मामलों में आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्य अवकाश प्रबन्धक द्वारा (आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/अग्रसारित किये जाने पर) स्वीकृत किया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य अवकाश भी आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।"

इस प्रकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत करने के लिये वही नियम लागू है, जो राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के नियम 69 के अनुसार अवकाश पर रहते हुए कोई सरकारी कर्मचारी कोई सेवा नहीं कर सकता या कोई रोजगार स्वीकार नहीं कर सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए हुए।

(क) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार एशिया से कहीं बाहर है तो सेक्रेटरी आफ स्टेट की,

(ख) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत से बाहर परन्तु एशिया के अन्दर है तो राज्यपाल की

(ग) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत ही में है, तो राज्यपाल या किसी अन्य पूर्ण अधीनस्थ प्राधिकारी की जिसे उसकी नियुक्ति करने का अधिकार हो।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा यह मन्तव्य दिया गया है कि सहायक अध्यापक अथवा प्रवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, का चयन प्रवक्ता अथवा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के पद पर चयन होने के उपरान्त पूर्व संस्था में सहायक अध्यापक अथवा प्रवक्ता पद से तकनीकी त्याग–पत्र अथवा नियमानुसार कार्यमुक्ति के पश्चात ही नए संस्थान में प्रवक्ता अथवा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के पद पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण किया जा सकता है। प्रवक्ता अथवा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पूर्व पद पर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किए जाने का कोई नियम नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने जनपद में यह सुनिश्चित करायें कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक अथवा प्रवक्ता का यदि प्रवक्ता अथवा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के पद पर चयन हो जाता है तो चयनित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के लिये किसी भी दशा में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत न किया जाय। यदि ऐसे प्रकरणों में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया हो, तो तत्काल निरस्त कराने की कार्यवाही की जाय।"

भवदीय

(अमर नाथ वर्मा)

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र०।

□□□

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापिकाओं के अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत किया जाना

संख्या 1867/79–6–2016

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक)/अध्यक्ष

शिक्षा निदेशालय (बेसिक)

उ.प्र., लखनऊ।

2–सचिव,

बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2016

विषय: उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापिकाओं के अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत किया जाना।